2022/107

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम रामकिशोर

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

पत्रावली सं./मुकदमा संख्या : दावा 109/2022

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible] 2022	यह दावा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 02.08.2022 को पेश हो। Srshti सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	नोटिस जारी ON 3927-33 21/07/22
2.8.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 9.9.22 को पेश हो।	2/8/22
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तक रूक रूक कर आवाजें लगवाई गई। परन्तु ना तो वादीगण स्वयं उपस्थित हुये ना ही उनकी ओर से कोई वकील आदि उपस्थित हुआ। अतः वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	